न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 131/2019

1. सरदारा पुत्र झाबर जाति जाट निवासी भडून्दा कलां तहसील व जिला झुंझुनू।
2. अमीलाल पुत्र झाबर जाति जाट निवासी भडून्दा कलां तहसील व जिला झुंझुनू।

–– आवेदक

बनाम

1. खेतसिहं पुत्र माला जाति जाट निवासी भडून्दा कलां तहसील व जिला झुंझुनू।
2. सरदारसिहं पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी भडून्दा कलां तहसील व जिला झुंझुनू।
3. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा भडून्दा कलां जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. श्रीमान् उप पंजीयक झुंझुनू।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू।
7. उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू जिला झुंझुनू।

–– अनावेदक

उपस्थितः–

1. श्री रोताश कुमार – अभिभाषक – आवेदकगण की ओर से।
2. श्री राजेश पुनियां – अभिभाषक – अनावेदक संख्या 1 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक – अनावेदक संख्या 5, 6 व 7 की ओर से।

– – –

आवेदन पत्र अ.धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दावा उनवानी खेतसिंह बनाम सरदारा मु.न. 183/2017 दावा घोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा।

– – –

आदेश

दिनांक 30.10.2019

उक्त विषयक प्रार्थना पत्र आवेदक ने विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के बाबत किये जाने स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 183/2017 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू में अनावेदक खेतसिंह द्वारा एक दावा उनवानी खेतसिंह बनाम सरदारा दावा घोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 183/2017 विचाराधीन है। उक्त दावा प्रकरण की आराजीयात में हिस्सा 1/2 आवेदकगण व हिस्सा 1/2 अनावेदक नम्बर 1 खेतसिहं काबिज काश्त है। मगर दावे में जमीन हाल खसरा नम्बर 535 जिस पर आवेदकगण काबिज है उसमें से 1 बीघा खाम की अतिरिक्त रजिस्ट्री विक्रय पत्र करवाने में अनावेदक नम्बर 1 के मन में बेईमानी आ गई है। अनावेदक नम्बर 1 खेतसिंह व उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू आपस में मिलकर अक्त आराजीयात का जल्दी बंटवारा कर आवेदकगण को उसकी काबिज शुदा जमीन 4 बीघा खाम जमीन से बेदखल करना चाहते है। दावे में प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 की ओर से काई जबाब पेश नहीं हुआ ना ही उनकी जबाब देही बन्द हुई फिर भी तनकीयात कायम कर अदालत मातहत ने साक्ष्य वादी में मिसल लगाकर अनावेदक नम्बर 1 के पक्ष में फैसला करने के फिराक में है क्योंकि आवेदकगण अदालत हाजा में उपस्थित होने के पश्चात भी दिनांक 25.06.2015 को आवेदक के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी द्वारा यदि प्रकरण का फैसला किया जाता है तो आवेदकगण के साथ न्याय होने की सम्भावना नहीं है। अतः हस्तान्तरण प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि आवेदकगण को उपखण्ड

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

अधिकारी झुंझुनू से न्याय की उम्मीद नहीं होने से प्रकरण का अन्य राजस्व न्यायालय में हस्तान्तरण करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर को निराधार बताते हुये प्रकरण खेतसिंह आदि बनाम सरदारा आदि मु.न. 183/2017 अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर अपनी कोई आपति नही होना अंकित किया है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश पुनियां उपस्थित आये जिन्होने ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश न कर बहस सुनने का निवेदन किया, अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा शेष अप्रार्थीगण 2 लगायत 4 बावजूद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं आये अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जा रहा है। आवेदकगण को अदालत मातहत से न्याय की आशा नहीं है। अतः पत्रावली अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने वकील आवेदक के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकगण द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जा रहा है। आवेदकगण प्रकरण की सुनवाई में देरी कराना चाहते है। आवेदकगण के प्रार्थना पत्र में कोई फोर्स नहीं है। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में वकील अनावेदक के कथनों का समर्थन किया तथा निवेदन किया कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र निराधार व मंनगढत तथ्यों पर आधारित है जो खारीज होने योग्य है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई आपति नही होना बताया है। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुआ भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो । इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुकदमा 183/2017 उनवानी खेतसिंह बनाम सरदारा वगैरह उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के न्यायालय में स्थानानतरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा 183/2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। पक्षकार सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के न्यायालय में दिनांक 08.11.2019 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू